

प्रतिलिपि पत्र संख्या-3403/सत्तर-6-2007-2(160)/2007 दिनांक 11.09.2007 द्वारा अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब./1805/2007 दिनांक 16.08.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल दयानंद एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर सी०सी०ए० कार्यक्रम में स्वतंत्र घोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र श्री में इंगित समस्त क्रमियों को पूर्ण कर लेना अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा ।
4. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनदेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनदेशों का पालन करेगी ।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिचियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी । महाविद्यालय समस्त उपरोक्त क्रमियाँ एक माह में पूर्ण कर लेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/ 2146 /2007

दिनांक 22/9/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, प्रबन्ध समिति, दयानंद एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महाभारत कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग, अनुबन्ध पत्र(आयाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का सपथ पत्र (आयाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना और महाभारत कुलाधिपति महोदय के सम्बद्धता पत्र में इंगित क्रमियों की पूर्ति उक्त पत्र में इंगित समय सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए । प्रवेश हेतु उक्त वर्णित विषयों में 02 सेक्शन (प्रति सेक्शन 60 छात्र) कुल 120 सीट्स निर्धारित की जाती है ।
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/1805/2007, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/1805/2007, कानपुर ।
4. इंचार्ज, इं०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/1805/2007, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

Do -
for record in the
concerned file
24/9/07

प्रेषक,

- इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।
महोदय,

लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2010

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1532/2010, दिनांक 15.06.2010 एवं पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1742/2010, दिनांक 14.07.2010 एवं पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1995/2010, दिनांक 10.08.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-3369(1)/सत्तर-6-2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
3. प्रबन्धक, दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

For Jayaram Academy of Management Studies.
SECRETARY

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।